न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 79/2020
रविकान्त शर्मा पुत्र स्व0 जुगलकिशोर शर्मा, सेवा केन्द्र श्री कृष्ण गौशाला के पास, वार्ड नं0 6, चिडावा जिला झुंझुनूं
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं
—:—
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 79/2020 पर दिनांक 28.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्र कमांक पाठक /2020/1497 –1498 दिनांक 28.09.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/4041 दिनांक 05.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 20.08.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/529 दिनांक 27.08.2020 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः प्रथम अपील का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील निरस्त फरमाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/4041 दिनांक 05.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 20.08.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/529 दिनांक 27.08.2020 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चिडावा को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार अन्तरित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
14/10/2020